

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल प्रभारी रीवा संभाग कैम्प
रीवा (म०प्र०)



विश्वनाथ तनय खुनखुन धरकार, निवासी-ग्राम पुरैल, तहसील देवसर ^{सिंजरौली} (म०प्र०)

.....आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

- 1- बलबन्त पिता गजाधर चमार
- 2- बोड़ई पिता रामपियारे चमार
- 3- वंशपति पति पिता अमृत लाल चमार
- 4- प्रभु पिता हीरालाल चमार
- 5- लालता पिता देवनारायण बैसवाल

सभी निवासी-ग्राम पुरैल, तहसील देवसर, जिला सिंजरौली (म०प्र०)

.....अनावेदकगण / गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर महोदय, जिला सिंजरौली म०प्र० के प्रकरण क्र० 30/निगरानी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 12/04/2012

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 ई०

अधिवक्ता श्रीराजेश
कुमार किशोर
उत्पुत्र
सेवा दिनांक 8-06-2012
8/6/12

27.6.12
मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार हैं :-

- 1- यह कि विवादित आराजी नं० 70, 72, 78, 85 किता 4 रकवा 2.06 हे० के भूमि स्वामी आवेदक निगरानीकर्ता है। उपरोक्त आराजी का सीमांकन आवेदक निगरानीकर्ता ने सीमांकन कराया था जिसकी पुष्टि तहसीलदार महोदय द्वारा दिनांक 17/10/2007 को की गई है, सीमांकन पुष्टि के आधार पर ही राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा की गई जांच के बाद

राजेश कुमार
8/6/12

M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-1925-II/12

जिला-सिंगरौली

विश्वनाथ धरकार/बलवन्त चमार

(1)	(2)	(3)
24.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार निगम उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 30/निगरानी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 12.04.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;"> (बी.एम.शर्मा) सदस्य</p>	